



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

POWER CORPORATION LIMITED

Govt. of Uttar Pradesh Undertaking

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या: 451-अ0प्र0-04 / पाकालि / 2017-1-जी.ई.(छ:)/80

दिनांक: 09 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-800-अ0प्र0-04 / पाकालि / 2016-1-जी0ई0(छ:)/80, दिनांक 25.04.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1755-अ0प्र0-04 / पाकालि / 2016-1-जी0ई0(छ:)/80, दिनांक 19.09.2016 के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं के द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि को उन्हें निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन कारपोरेशन की सेवाओं से सहर्ष सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं:-

चयन वर्ष 2016-2017 (वैद्युत एवं यांत्रिक)

क्रम0 सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	चयन का माध्यम
1	2	3	4	5	6
1	सुरेश कुमार शर्मा	2016083	14.05.1957	31.05.2017	40% द्वारा प्रोन्नति
2	विजय प्रताप सिंह	2016109	14.06.1957	30.06.2017	40% द्वारा प्रोन्नति

चयन वर्ष 2016-2017 (जानपद)

क्रम0 सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	चयन का माध्यम
1	2	3	4	5	6
1	उमेश चन्द्र	201224	03.05.1957	31.05.2017	40% द्वारा प्रोन्नति

प्रतिबन्ध

- अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अभियन्ताओं के सम्बन्ध में उपरोक्त सेवानिवृत्ति आदेश उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने की स्थिति में ही प्रभावी होंगे।
- उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्त तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है अथवा किसी अधिकारी का नाम उपरोक्त सूची में उल्लिखित नहीं है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

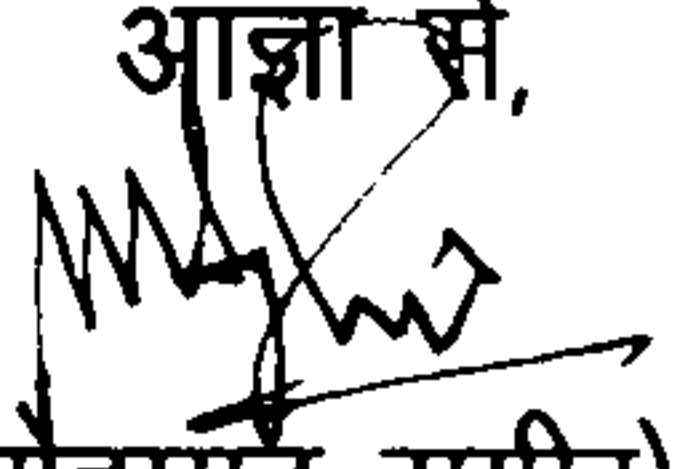
संख्या-451(1)-अ0प्र0-04 / पाकालि / 2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित :-

- निजी सचिव (सम्बद्ध) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।

2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., 'ऊर्जा भवन' 220 के०वी० उपकेन्द्र, आगरा-मथुरा राजमार्ग, आगरा।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, (केस्को), कानपुर को इस आशय से प्रेषित की वे कृपया उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को हस्तगत कराने का कष्ट करें।
5. अपर सचिव द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वितरण), आगरा क्षेत्र, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., कानपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण उपखण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वेब साइट पर पदर्शन हेतु।
10. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/ (जीपीएफ)/ (पेंशन)/ (महास्तार)/ (ट्रस्ट), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी (अ.प्र.-03)/ (अ.प्र.-07), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचना पट/कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

नोट- सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ताओं का यह दायित्व है कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने निवास स्थान का पूरा पता (नाम, अभिज्ञान संख्या, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड नम्बर आदि) पत्राचार हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं अवर अभियन्ता काल का सेवा इतिहास भी कारपोरेशन मुख्यालय स्थित उप सचिव (अ०प्र०-03/04) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(मोहम्मद सगीर)
उप सचिव